

INTERNAL COMMITTEE
SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE
(PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013
UNDER THE ROUSE AVENUE DISTRICT COURT COMPLEX (RADC)

Are you being Sexually Harassed?

If you are a woman, who is facing/has faced sexual harassment at RADC, or if you know of any such person who is being sexually harassed at RADC and want to help the victim, read on:

THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013 came into effect on 9th December, 2013

What Constitutes Sexual Harassment?

It includes unwelcome sexual behaviour (of direct or implied nature), such as:

- . Physical contact and advances;
- . A Demand/Request for sexual favours;
- . Sexually colored remarks;
- . Showing pronography; and
- . Other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

Punishment for Sexual Harassment

. Sexual Harassment of women at workplace is misconduct under service rules besides being punishable under Bharatiya Nyaya Sanhita.

How to prepare a Complaint?

- . Write exactly what happened with details, dates, name of witnesses & documents, if any.
- . Be specific about the incident (s)
- . Be honest, as false complaints can invite penalties.
- . File a complaint of sexual harassment within three months of the incident(s).

How to file a Complaint?

Submit the complaint:

- .Directly to Internal Committee(IC), RADC, New Delhi Or send an Email to she-radc@ddc.nic.in

SEXUAL HARASSMENT IS NO JOKE
SPEAK UP-SAVE DIGNITY & SAVE LIVES!

COMPOSITION OF INTERNAL COMMITTEE(IC), RADC, NEW DELHI

S.No.	Name of the Officer	Designation	Contact Number
1	Ms. Manjusha Wadhwa, Ld. POIT-01, Rouse Avenue Courts, New Delhi	Chairperson	011-20836104
2	Sh. Sudhanshu Kaushik, Ld. Spl. Judge (PC Act), CBI, Rouse Avenue Courts, New Delhi	Member	011-20836090
3	Ms. Jyoti Kler, Ld. Spl. Judge (PC Act), CBI, Rouse Avenue Courts, New Delhi	Member	011-20836088
4	Sh. Ashwani Panwar, Ld. ACJM-04, Rouse Avenue Courts, New Delhi	Member	011-20836095
5	Ms. Meenakshi Chauhan, Advocate, Chamber No. 105, A.K. Sen Block, Supreme Court of India	Member	9811671038
6	Dr. Kavita, Assistant Professor, Mata Sundri College for Women, Environmental Science, New Delhi	Member	9891465615
7	Ms. Arvinder Kaur, Copying Agency, Rouse Avenue Courts, New Delhi	Member	9650854646

* This Committee has been renamed/reconstituted as “Committee on Gender Sensitization as well as Committee for taking action in the matter of Sexual Harassment of Women and the Transgender persons vide order bearing No. Committee/Gaz./RACC/2026/4434-4534/C dated 06.02.2026 issued by Ld. Principal District & Sessions Judge cum Spl. Judge (PC Act), CBI, RACC, ND.”

**कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर आंतरिक समिति
(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013,
राउज़ एवेन्यू न्यायालय परिसर, दिल्ली।**

क्या आप यौन उत्पीड़ित हैं –?

यदि आप एक महिला हैं, जो राउज़ एवेन्यू न्यायालय में यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं/या कर चुकी हैं, या यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हैं जिसका राउज़ एवेन्यू न्यायालय में यौन उत्पीड़न का शिकार हो रहा है और उस पीड़ित की सहायता करना चाहती हैं तो आगे पढ़ें –

**महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)
अधिनियम, 2013, प्रभाव 09 दिसंबर 2013 को प्रभाव को आया ।**

यौन उत्पीड़न क्या होता है ?

इसमें अवांछित कार्य या व्यवहार (प्रत्यक्ष या विवक्षित रूप) शामिल है, जैसे कि:

- शारीरिक संपर्क और अग्रगमन ; या
- यौन लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना ; या
- लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियाँ करना ; या
- अश्लील साहित्य दिखाना ; या
- लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना ।

यौन उत्पीड़न के लिए निर्धारित सजा

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न सेवा नियमों के अंतर्गत दुर्व्यवहार के अलावा यह भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दंडनीय भी है।

शिकायत कैसे तैयार करें ?

- विवरण, दिनांक और दस्तावेज़ और गवाह (यदि कोई हो) के नाम के साथ लिखें कि वास्तव में क्या हुआ।
- घटना के बारे में विशिष्ट रहें।
- निष्कपट/ईमानदार रहें क्योंकि मिथ्या शिकायत दंडनीय अपराध है।
- घटना घटित होने के तीन माह के भीतर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करें।

शिकायत कैसे फाइल करें ?

उपरोक्त मुद्दे से संबंधित किसी प्रकार की सहायता तथा शिकायत दर्ज करने हेतु आंतरिक समिति (आई.सी) राउज़ एवेन्यू न्यायालय परिसर से सीधा संपर्क करें।

अथवा

ईमेल द्वारा भेजें : **she-radc@ddc.nic.in**

**“यौन उत्पीड़न कोई मज़ाक नहीं है,
गरिमा बचाए और जीवन बचाए ”**

आंतरिक समिति (आई.सी) राउज़ एवेन्यू न्यायालय परिसर, नई दिल्ली की संरचना।

क.स	अधिकारियों के नाम सूची	पद	दूरभाष न.
01	सुश्री मंजुषा वाधवा, माननीया पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण (पी.ओ.आई.टी), राउज़ एवेन्यू न्यायालय, नई दिल्ली।	अध्यक्ष	011-20836104
02	श्री सुधांशु कौशिक, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राउज़ एवेन्यू न्यायालय, नई दिल्ली।	सदस्य	011-20836090
03	सुश्री ज्योति क्लेर, माननीया विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राउज़ एवेन्यू न्यायालय, नई दिल्ली।	सदस्य	011-20836088
04	श्री अश्वनी पंवार, माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट-04 राउज़ एवेन्यू न्यायालय, नई दिल्ली।	सदस्य	011-20836095
05	सुश्री मीनाक्षी चौहान, अभिवक्ता, चैंबर न.105, ए.के.सेन ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली।	सदस्य	9811671038
06	डॉ.कविता, सह-प्राध्यापक, माता सुंदरी महिला कॉलेज, (पर्यावरण विज्ञान) नई दिल्ली।	सदस्य	9891465615
07	सुश्री अरविंदर कौर, वरिष्ठ न्यायिक सहायक/शाखा प्रभारी, प्रतिलिपि शाखा, राउज़ एवेन्यू न्यायालय, नई दिल्ली।	सदस्य	9650854646

नोट— माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राउज़ एवेन्यू न्यायालय परिसर, दिल्ली के आदेश संख्या न. समिति/गैज़/आर.ए.सी.सी/2026/4434-4534/सी दिनांक 06.02.2026 के द्वारा इस समिति का नाम बदलकर/पुनर्गठित करके **“लैंगिक संवेदनशीलता समिति तथा महिलाओं और ट्रांसजेंडर के यौन उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई हेतु समिति”** कर दिया गया है।

-